

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
नलकूप निर्माण खण्ड
मुजफ्फरनगर**

पत्रांक :- /नलिखमु/जनसूचना/ दिनांक :-
विषय :- जनसूचना अधिकार अधिनियम- 2005 के संबंध में।
संदर्भ :- आपका पत्रांक 191/नमस/दिनांक 15.01.2010

अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, सहारनपुर।

उपरोक्त विषयक के संबंध में आप द्वारा चाही गयी सूचना बिन्दुवार निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु संख्या 01- इस खण्ड द्वारा मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलन्दशहर, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत जनपदों में किसानों को सिंचाई की सुलभ व्यवस्था हेतु राजकीय नलकूपों का निर्माण किया जाता है।

बिन्दु संख्या 02- इस खण्ड के अन्तर्गत जनपद स्तरीय अधिकारी अधिशासी अभियन्ता नियुक्त है। जो अधीनस्थ उपखण्डीय कार्यालयों एवं खण्डीय कार्यालय हेतु प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त है। खण्ड के समस्त अधिकारी/कर्मचारी किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है।

बिन्दु संख्या 03- तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर विनिश्चय करने की प्रक्रिया सम्मिलित की जाती है।

बिन्दु संख्या 04- शून्य।

बिन्दु संख्या 05- शासन द्वारा दिये गये नियम, विनियम, अनुदेश के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

बिन्दु संख्या 06- स्थापना सम्बन्धी अभिलेख, लेखा अनुभाग सम्बन्धी अभिलेख, ड्राइंग अनुभाग संबंधी अभिलेख आदि का रख-रखाव किया जाता है।

बिन्दु संख्या 07- संगठन के अन्तर्गत सिंचाई व्यवस्था हेतु नीति/योजना विभागाध्यक्ष द्वारा बनाई जाती है। उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से

सम्पर्क हेतु जनसूचना अधिकारी एवं सहायक जनसूचना अधिकारी नियुक्त है।

बिन्दु संख्या 08-

जनता से सम्पर्क हेतु कार्यालय स्थल नियत है।

बिन्दु संख्या 09-

शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार ही अधिकारी / कर्मचारी कार्य करते हैं।

बिन्दु संख्या 10-

प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी द्वारा धारित मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति उनके पद के अनुरूप शासन द्वारा निर्धारित की जाती है।

क्रमश :- 2 -

- 2 -

बिन्दु संख्या 11-

खण्ड हेतु शासन द्वारा विभिन्न स्वीकृत योजनाओं के अनुसार बजट का आबंटन किया जाता है एवं तथानुसार ही आबंटित बजट को व्यय किया जाता है।

बिन्दु संख्या 12-

जिला कार्य योजना के अन्तर्गत कार्यों का निष्पादन किया जाता है। तथा जिसकी धनराशि भी योजना के अनुसार आबंटित की जाती है।

बिन्दु संख्या 13-

शून्य।

बिन्दु संख्या 14-

शून्य।

बिन्दु संख्या 15-

जनसूचना के अन्तर्गत जनता को सूचना उपलब्ध कराने की सुविधा उपलब्ध है।

बिन्दु संख्या 16-

श्री जे०के०गर्ग, सहायक अभियन्ता, जनसूचना अधिकारी एवं श्री वी०के०त्यागी आशुलिपिक सहायक जनसूचना अधिकारी नियुक्त हैं।

बिन्दु संख्या 17-

शून्य।

अधिशायी अभियन्ता
नलकूप निर्माण खण्ड, मुजफ्फरनगर